(10)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : एस0एस0 अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक–961–दो/2007 विरूद्ध आदेश दिनांक 02–04–2007 पारित द्वारा अपर आयुक्त रीवा सम्भाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक–38/अपील/2007

.....

1– जानकी प्रसाद तनय भानू प्रसाद सिंह दुबे
2– श्रीमती कृष्णादेवी पत्नी स्व0 श्री गुरूप्रसाद
3– गोपेन्द्र सिंह दुबे तनय श्री गुरूप्रसाद
4– मधुसूदन सिंह दुबे तनय श्री भानू प्रसाद सिंह दुबे
5– रिपुसूदन सिंह दुबे तनय श्री भानू प्रसाद सिंह दुबे
निवासीगण–ग्राम केमार तहसील अमरपाटन,
जिला–सतना, म0प्र0

–––––––आवेदकगण

विरूद्ध

1– बद्री प्रसाद तनय रामाधीन चर्मकार
2– कमलभान तनय विश्राम चर्मकार
3– नन्दलाल तनय रामाधीन चर्मकार
4– राजेन्द्र तनय देवेन्द्र चर्मकार
निवासीगण–ग्राम केमार तहसील अमरपाटन,
जिला–सतना, म0प्र0

–––––––अनावेदकगण

.....

श्री मुकेश भार्गव, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री एस0के0 अवस्थी, अभिभाषक, अनावेदकगण

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 01/6/2017 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त रीवा संभाग, रीवा द्वारा पारित आदेश दिनांक 02–04–2007 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम केमार स्थित प्रश्नाधीन भूमि खसरा नं0 104 रकबा 1.84 एकड़ को नायब तहसीलदार ने मध्यप्रदेश शासन की भूमि मानकर अनावेदकगण के पक्ष में कब्जा दाखिल किये जाने का आदेश पारित किया। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के न्यायालय में प्रथम अपील पेश की, जो प्रकरण क्रमांक 53/अ--6--3/1998--99 पर दर्ज होकर पारित आदेश दिनांक 05.09.2000 से अपील निरस्त करते हुये अपीलाधीन आदेश पारित किया। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश से परिवेदित होकर आवेदकगण द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में पेश की गई। जहां विधिवत प्रकरण क्रमांक 38/अपील/2000--01 पर पंजीबद्ध किया गया । अपर आयुक्त रीवा ने प्रकरण के विवेचना के उपरांत दिनांक 02.04.2007 को अपील सारहीन मानते हुये निरस्त कर दिया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ उभयपक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार किया गया । उभयपक्ष के अभिभाषकों ने प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का निवेदन किया है। अतः प्रकरण का निराकरण अभिलेखों के आधार पर किया जा रहा है।

4/ प्रकरण में प्रस्तुत अभिलेखों का अवलोकन किया गया । अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट है कि विवादित भूमि सर्वे क्रमांक 104 रकबा 1.84 एकड़ को आवेदकगण द्वारा पूर्व से ही अपनी स्वामित्व की भूमि बताया है, किन्तु प्रकरण में जो खसरा वर्ष 69--70, 70--71 एवं 71--72 प्रस्तुत किया है उसमें कॉलम नंबर 3 में उक्त विवादित भूमि मध्यप्रदेश शासन के नाम दर्ज है एवं प्रविष्टि कॉलम 14 मे आवेदकगण का नाम दर्ज है। इससे यह स्पष्ट होता है कि उक्त वादग्रस्त भूमि शासकीय भूमि है, जिसमें आवेदकगण द्वारा अवैध कब्जा किया गया है। यदि आवेदकगण वास्तव में भूमिस्वामी होते तो कॉलम 3 में उनका नाम दर्ज होता। चूँकि वर्ष 2004--05 में आवेदकगण का नाम भूमिस्वामी के रूप में दर्ज है किन्तु यह प्रविष्टि किस आदेश के तहत की गई है, इसका कहीं कोई उल्लेख नहीं किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, अमरपाटन के आदेश दिनांक 05.09.2000 के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के रकबा क्रमांक

0.045 हैक्टेयर पर अनावेदकगण का कब्जा दाखिल है और अनुविभागीय अधिकारी ने दोनों पक्षों को सुनने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये अनावेदकगण के हित में अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जिसमें कोई अनियमितता व अवैधानिकता परिलक्षित नही होती है, और अपर आयुक्त रीवा ने भी अपने प्रकरण क्रमांक-38/अपील/2007 में पारित आदेश दिनांक 02-04-2007 द्वारा पूर्ण विवेचना कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी ठोस आधार के अभाव में निरस्त की जाती है।

(एस0एस0 अली)
सदस्य,
राजस्व मण्डल,मध्यप्रदेश,
ग्वालियर,